>

Title: Need to abolish imposition of TDS on transmission of natural gas to industrial units in Agra, Uttar Pradesh.

प्रो. रामशंकर (आगरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल गैस आधारित उद्योग-धंधे ही चल सकते हैं। उद्योगों को प्राकृतिक गैस ईंधन के तौर पर उपयोग करने हेतु निर्देश है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। यह आपूर्ति ईकाइयों को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अपनी पाईप लाइन द्वारा की जाती है। इन्कम टैक्स विभाग द्वारा इस आपूर्ति में ट्रांसमिशन के अंश पर टी.डी.एस. की कटौती धारा 194सी के अंतर्गत करने के लिए फैक्ट्रियों को बाध्य किया जा रहा है। चूंकि गैस गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा फैक्ट्रियों के गेट पर ही उपलब्ध कराई जाती है। अतः इस ट्रांसमिशन चार्ज पर टी.डी.एस. का प्रावधान लागू नहीं होता है, जो सी.बी.डी.टी. के सर्कुलर संख्या 13 ऑफ 2006 दिनांक 13.12.2006 एवं 681 दिनांक 8.3.1994 द्वारा उद्योगों पर लागू नहीं होता है। माननीय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपील संख्या 618 ऑफ 2010 दिनांक 12.7.2011 सी.आई.टी. वर्सिस कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड में भी इस विषय पर अपने आदेश में टी.डी.एस. नहीं काटने के आदेश दिए हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि उद्योगों को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा की जा रही प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ट्रांसमिशन चार्ज के अंश पर आयकर विभाग द्वारा अनुचित रूप से मांगे जा रहे स्रोत पर कटौती नहीं की जाए।